

महिला शिक्षा : स्थिति, आवश्यकता समस्याएँ एवं समाधान



दिनेश प्रताप सिंह

प्रवक्ता,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
आई0 एम0 आर0,
गाजियाबाद

सारांश

प्रत्येक समाज के कुछ मुख्य पहलू होते हैं वैसे ही भारतीय समाज के दो मुख्य पहलू हैं, स्त्री व पुरुष। भारतीय समाज में स्त्री का स्थान अति महत्वपूर्ण हमेशा से ही रहा है स्त्रियों ने सदैव अपना योगदान समाज के पुर्नगठन व रचनात्मकता के लिए दिया है उनकी सही शक्ति का प्रयोग करके समाज को अति संस्कारित व विकसित बनाया जा सकता है। भारत में स्त्री शिक्षा के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। यदि स्त्रियों की प्रवल शक्ति व महान योग्यता का समुचित प्रयोग किया जाये तो राष्ट्र को समुचित व पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है उनकी शिक्षा के बिना वे राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण व समुचित भूमिका का निर्वाह नहीं कर पायेगी।

मुख्य शब्द : पुर्नगठन, रचनात्मकता, संवेदनशील, शास्तार्थ, शैशवावस्था।
प्रस्तावना

किसी भी समाज का उन्नयन करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है उसी प्रकार भारत को भी प्रगति पर ले जाने के लिए सबका शिक्षित होना आवश्यक है। भारतीय समाज में स्त्री का स्थान अति महत्वपूर्ण हमेशा से ही रहा है स्त्रियों ने सदैव अपना योगदान समाज के पुर्नगठन व रचनात्मकता के लिए दिया है उनकी सही शक्ति का प्रयोग करके समाज को अति संस्कारित व विकसित बनाया जा सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में ही एक अन्य स्थान पर लिखा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सब लड़कियों और लड़कों के लिए नियत समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की व्यवस्था करे।

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा

वैदिक काल में स्त्रियों को वर्णानुसार कर्म की शिक्षा दी जाती थी अर्थवेद में इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग में एक स्थान पर आया है कि प्राचीन ऋषि जहाँ लड़कों को विद्वान बनाने के यत्न करते थे वहाँ लड़कियों को भी विदुषी बनाते थे। शुद्र वर्ण की स्त्रियों को तो इस काल में शिक्षा के अधिकार से ही वचिंत कर दिया गया था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में ही एक अन्य स्थान पर लिखा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सब लड़कियों और लड़कों के लिए नियत समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की व्यवस्था करे।

बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा

स्त्रियों की शिक्षा के बारे में गौतम बुद्ध के विचार वैदिक काल से अलग थे। बौद्ध काल में बौद्ध मठों एवं विहारों में सभी स्त्री व पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई, इस काल में स्त्रियों पुरुषों की भूति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी जनऋति है कि कवि कालिदास की पत्नी विद्योतमा विदुषी महिला थी उसने अनक पण्डितों को शास्तार्थ में हराया। बाणभट्ट ने कादम्बरी की नायिका महाश्वेता को यज्ञोपवीट धारण करने परिव्रत शरीर वाली बताया है। बौद्ध काल में भाषा साहित्य, धर्म व दर्शन की शिक्षा स्त्रियों प्राप्त करती थी। अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा में कुछ प्रगति देखने को मिली।

मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा

मुस्लिम काल का आगमन होने पर उसकी सभ्यता व सरकृति भी यहाँ आयी वे स्त्रियों को केवल पढ़ने लिखने तक की शिक्षा देने के पक्षधर थे। जिसके परिणामस्वरूप इस युग में स्त्री शिक्षा का स्वरूप अति संकुचित हो गया मालगा के शासक गयासुददीन ने सारगपुर में एक मदरसा केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए अवश्य स्थापित किया गया था परन्तु पहली बात तो यह है कि उस समय पर्दा प्रथा होने के कारण लोग अपनी बच्चियों को घर के बाहर नहीं

भेजना चाहते थे मुस्लिम काल मेर रजियाबेगम, गुलबदन वेगम, नूरजहाँ, मुमताज, जहाँआरा आदि अरबी व फारसी की विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुई।

ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा की दिशा में पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने प्रारम्भ किया भारत में बालिकाओं के लिए अलग से, सबसे पहला स्कूल 1818 में ईसाई मिशनरी रेकरेण्डर्स ने चिनसुरा में स्थापित किया। 1819 में कैरै ने सीरामपुर में दूसरा विद्यालय स्थापित किया 1820 में डेविड हेयर ने भी कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1821 में इंग्लैण्ड से मिस कूक भारत आई इन्होंने आते ही 8 बालिका विद्यालय की स्थापना की। मिशनरियों से प्रभावित होकर भारतीय भी आगे बढ़े। पूना में महात्मा फूले ने एक बालिका विद्यालय खोला जिसमें वे और उनकी पत्नी पढ़ाते थे। इसके बाद राजा राममोहन राय व ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने भी कलकत्ता क्षेत्र में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की।

बुड का घोषणा पत्र (1854)

19 जुलाई 1854 के इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने भारतीय शिक्षा का मेग्नाकार्टा भी कहा है। परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना की गयी साथ ही महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की गयी इससे स्त्री शिक्षा के प्रसार में तेजी आई।

हण्टर आयोग (1882)

3 फरवरी 1882 को लार्ड रिपन ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य विलियम हण्टर की अध्यक्षता में पहले भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की, आयोग ने अपने शब्दों में लिखा "मानव संसाधनों के सम्पूर्ण विकास के लिए, परिवार के सुधार के लिए तथा शैशवावस्था के अत्यन्त संवेदनशील वर्षों के दौरान बच्चों को गढ़ने के लिए स्त्रियों की शिक्षा तो पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।"

सैडलर आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ सुझाव भी दिये —

1. छात्राओं का शुल्क कम किया जाये व छात्रवृत्तियों भी दी जाये।
2. बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान की शर्तें आसान की जाये।
3. इन विद्यालयों का निरीक्षण महिला निरीक्षकों द्वारा हो।
4. विधवा महिलाओं को शिक्षिका बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

सैडलर कमीशन के सुझावों से ही 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी यह भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कालेज था। इसी वर्ष महर्षि कर्वे ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।

सैडलर कमीशन (1917)

सैलडन कमीशन ने सिफारिश की एक ऐसी परिषद बनाई जाये जो महिलाओं के लिए पृथक उपयोगी पाठ्यक्रम तैयार करे। उस समय अनेक ऐसी संस्थाएं भी थीं जो देशी ढंग की शिक्षा दे रही थीं किसी विद्यालय

अन्य स्थानों पर इनके परीक्षा केन्द्र होते थे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ये संस्थाएं उपाधि प्रदान करती थीं। इनमें प्रमुख संस्थाएं— हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कर्चा गुरुकुल, प्रयाग महिला विद्यापीठ आदि थीं जों लोगों को सुशिक्षित सुसंस्करित व अच्छी नागरिक बनाने में सहयोग दे रही थीं। सन् 1922 से 1947 के मध्य स्त्री शिक्षा का काफी विकास हुआ है इस दौरान स्वाधीनता संग्राम की बागड़ार मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हाथ में रही। महात्मा गांधी की सम्भवतः सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया जो आयोग ने सुझाव दिया वो निम्नलिखित है—

1. स्त्रियों को उनकी आवश्यकतानुरूप शिक्षा दी जाए।
2. शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की जाए।
3. स्त्रियों को गृहअर्धशास्त्र गृह प्रबन्धन आदि की शिक्षा दी जाए।
4. जो विद्यालय सह-शिक्षा के रूप में संचालित है उनको वास्तव में सह शिक्षा के रूप में संचालित किया जाए सत्यता यह है कि उनमें सभी सुख सुविधायें पुरुषों के लिए हैं बालिकाओं के खेलकूद, आमोद प्रमोद व आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ कोई भी स्त्री शिक्षिका है हिं नहीं अतः यह आवश्यक हो गया है कि सही अर्थों में सह शिक्षा विद्यालय विकसित किये जाये।

राष्ट्रीय महिला समिति (1958)

राधाकृष्णन कमीशन का कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहा और उस पर अमल भी बहुत कम हो पाया अतः भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1958 में श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इस समिति को देशमुख समिति भी कहा जाता है इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव 1959 में प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है—

1. केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाय जो स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी हो।
2. प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक सुविधायें प्रदान की जाये।
3. कुछ समय के लिए लड़कियों की शिक्षा कों विशिष्ट समस्या के रूप में स्थीकार किया जाये।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किये जाये।

कोठारी कमीशन

कोठारी कमीशन ने सामान्यतः देशमुख समिति हंसा मेहता तथा भक्तवत्सलम समिति की सन्तुतियों का समर्थन करते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये—

1. 6-14 वर्ष की सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
2. महिला शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उदारता के साथ की जाये।

3. लड़कियों के लिए अलग से महाविद्यालय स्थापित किया जाये।
4. स्त्रियों के लिए अशंकालीन रोजगारों की विशेष व्यवस्था हो ताकि वे पारिवारिक दायित्वों को सम्भालते हुए अपनी शिक्षा का आर्थिक लाभ उठा सके।

साहित्यावलोकन

भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ में रमन बिहारी लाल जी की पुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत अन्य बहुत सी समस्याये पारिलक्षित होती है, दैनिक समाचार व पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सी वास्तविकता व समस्याये दिखती है। किन्तु लेखक की अपनी सीमा होती है। किन्तु अन्य बहुत सी पुस्तकों का भी सार यही है कि इस समस्या का समाधान मिल जुल कर सोचा जाये।

स्त्री शिक्षा की समस्याएँ

स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति व विकास न हो पाने की अनेक समस्याएँ हैं—

1. सहशिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण — सहशिक्षा का आशय बालक—बालिकाओं का एक ही स्कूल में समान पाठ्यक्रम से होता है। प्राथमिक पर दोनों साथ—2 पढ़ते हैं कि माध्यमिक वे उच्च स्तर पर दोनों साथ—2 पढ़ाने के सम्बन्ध में लोग एकमत नहीं हैं। अधिकतर भारतवासी इसके विरोध में हैं। जिसका मुख्य कारण लड़के—लड़कियों में यौन सम्बन्धों और प्रेम विवाह का भय है। कुछ लोगों का तर्क है कि पुरुष युवतियों को एक संस्था में एक साथ पढ़ाने से उन को ज्यादा समय सजने संवारने आदि में गुजर जाता है इस समस्या का हल हमें रुठियों को समाप्त करके ही किया जा सकता है इसका एक प्रमुख उपाय महिला अध्यापिकाओं को अत्यधिक संख्या में नियुक्त करके किया जा सकता है।
2. शिक्षिकाओं की मानसिकता की समस्या— हमारे देश में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की कमी रही है। लाखों प्रशिक्षित शिक्षिकाएं बेरोजगार हैं परन्तु ये अपने निवास स्थानों से दूर, विशेषकर ग्रामीण पहाड़ी, रेगिस्तानी और दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करती यदि प्रथम नियुक्त स्वीकार कर भी लेती हैं तो कुछ ही दिनों में भाग दौड़ करके सिफारिश अथवा पैसे के बल से अपना स्थानान्तरण करा लेती हैं परिणाम स्वरूप ग्रामीण विद्यालयों में महिला शिक्षिकायें ही ही नहीं।

Remarking An Analisation

जिससे समाधान के लिए दूरदराज, पहाड़ी, ग्रामीण आदि क्षेत्रों में महिला सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। यदि पति पत्नि अलग—अलग स्थानों पर हैं तो एक स्थान पर तैनाती दी जानी चाहिए।

स्त्री शिक्षा की समस्याएँ

शिक्षा जगत की एक प्रमुख समस्या अपव्यय व अवरोधन की समस्या है— जिसके प्रमुख कारण विद्यालयों की अनुपब्धता विद्यालयों की दशा सुधारकर शिक्षकों की जवाबदेही तय करके विकलागों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए उनकी सुविधाये बढ़ाई जाय कस्तूरबा विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय।

निष्कर्ष

इन सभी निष्कर्षों व तथ्यों के आधार पर यदि बात नारी शिक्षा की जाय तो यह बात पूर्ण सत्य है कि हम विश्व या समाज का विकास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम विश्व की आधी जनसंख्याओं को पूर्णतः शिक्षित नहीं कर देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के समाज में महिलाओं की वास्तविक भूमिका के परीक्षण के लिए अनेक विकासशील देशों में एक उत्प्रेरक का कार्य किया जब महिलाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण में धन लगाया जायेगा तो ऊर्जा प्रतिफल प्राप्त होगा। महिला शिक्षा की दशा को सुधार करके उनके खिलाफ अत्याचार शोषण उत्पीड़न निर्धनता व अन्य बहुत प्रकार की समस्याओं से उनको बचाया जा सकता है व महिलाओं की समानता के साथ —2 आत्मनिर्भरता भी प्रदान की जा सकती है। तथा सम्पूर्ण समाज की दिशा व दशा के एक उत्कृष्ट मार्ग का चयन किया जा सकता है जहाँ समृद्धि, खुशहाली, भाईचारा, प्रेम मातृत्व आदि का अहम स्थान होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लाल, रमन बिहारी, — भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ
2. नारी शिक्षा हरीचन्द्र, नई शिक्षा पट्टिका वर्ष 8, अंक 5
ISSN No.- 2393-8153, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा ००प्र०
3. पाठक पी०डी०,— भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा ००प्र०
4. दैनिक जागरण, समाचार पत्र हिन्दी, मेरठ संस्करण 09.03.2018

Add Some more References in your paper